Form No. III

Qn&vgdke

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

बाबरूलाल बनाम **छोगालाल वगैराह**

कार्यवाही अन्तर्गत :– **धारा 42 'ख' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

किस्म मुकदमा **अपील (रसद)** नं0 **001** सन् **2025**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.03.2025	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी रतन कुमावत हाजिर। हाजिर अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा की गई बहस एडमिशन को एक तरफा सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 'ख' का अवलोकन कराया एवं बताया कि राजस्थान अभिधृति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1992 के प्रारम्भ से पूर्व किसी खातेदार अधिभारी द्वारा अपनी जोत या उसके भाग किसी मं के अपने हित का किया गया कोई भी विक्रय दान या वसीयत 1992 के उक्त संशोधन अधिनियम के पूर्व यथा–विद्यमान धारा 42 के खण्ड (क) के उपबन्धों में से किसी के भी उल्लघंन के कारण शून्य थी, वहॉ ऐसा विक्रय, दान या वसीयत कलेक्टर या, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त रीति से किये गये आवेदन पर और ऐसी फीस तथा शास्ति के संदाय पर, जो विहित की जाये, विधिमान्य घोषित की जाकेगी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की तृतीय अनुसूची के क्रम संख्या 38 ग से उक्त प्रकरणों की सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता न्यायालय जिला कलक्टर में निहित है, अतः प्रकरण दर्ज योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस एडमिशन समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस एडमिशन का चित्त मन से शांति पूर्वक चिंतन–मनन किया। अधिनियम 1955 का गहनता पूर्वक परिशीलन/अध्ययन किया जाकर मार्गदर्शन प्राप्त किया। अधिनियम 1955 की धारा 42 अनुसार खातेदार आसामी के द्वारा अपने पूर्ण भूमि क्षेत्र में या उसके भाग में अपने हित की बिक्री दान (गिफ्ट) या वसीयत शून्य होगी। इस बाबत् अधिनियम 1955 की धारा 42 में 2 उपधारा 'क' 'ख' एवं 'ग– प्रावधित की गई है। अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (क) अधिनियम संख्या 22 ऑफ 1992 दिनांक 11.11.1992 में लागू	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	द्वारा विलोपित की जा चुकी है, इसी प्रकार अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (ग) अधिनियम संख्या 15 ऑफ 1970 द्वारा सदैव से ही विलुप्त किया गया है एवं अधिनियम 1955 की धारा 42 की उपधारा (ख) में प्रावधित किया गया है कि उक्त विक्रय, भेंट या वसीयत अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा ऐसे व्यक्ति के पक्ष में की गई हो जो अनुसूचित जाति का नहीं हो अथवा अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा ऐसे व्यक्ति के पक्ष में की गई हो जो अनुसूचित जनजाति का नही हो। हस्तगत प्रकरण के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादी/अपीलार्थी को उसके पिता जेता से विरासत से दिनांक 06.12.1998 को वसीयत मिली है, उक्त कथन वादी/अपीलार्थी द्वारा कॉलम संख्या 1 में अंकित किया गया है। वादी/अपीलार्थी जाति से ब्राहम्ण है जो कि अधिवक्ता वादी द्वारा स्वयं अपनी बहस एडमिशन में स्वीकार किया गया है, ऐसी स्थिति में वादी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अधिनियम 1955 की धारा 42 (ख) की श्रेणी में नहीं आता है, इसके साथ अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अधिनियम की धारा 42 (क) का तथ्य उठाया गया है, इस संबंध में अधिनियम की धारा 42 (क) विलोपन से पूर्व इस प्रकार थी (क) विक्रय, भेंट या वसीयत सर्वे नम्बर की नहीं है, उस अवस्था के अलावा जबकि उक्त प्रकार बेचें गये दन किये गये, या वसीयत किये गये सर्वे नम्बर का क्षेत्रफल धारा 53 की उपधारा (1) के प्रयोजना हेतु विहित न्यूनतम–क्षेत्र से अधिक हो, परन्तु उस दशा में भी हस्तान्तरित क्षेत्र आखण्ड (फ्रैंगमेंट) नहीं होगा। इस संबंध में अधिनियम 1955 की धारा 42(क) की क्षेत्राधिकारिता तृतीय अनुसूची के क्रम संख्या 38 ग से इस न्यायालय को प्राप्त है, किन्तु अधिनियम 1955 की तृतीय अनुसूची के कॉलम संख्या 4 से उक्त आवेदनों की परिसीमा (मियाद) अवधि 1 वर्ष प्रावधित की गई है। इसके साथ ही राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक : प.6(13)राज.–6/91/1 दिनांक 03.02.1998 से अधिनियम 1955 की धारा 42(1) के तहत 1992 से पूर्व विक्रय, दान या वसीयत द्वारा भूमि के लिये किये गये अपखण्डन को विधिमान्य घोषित करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई है। अपखण्डन संबंधी उपरोक्त प्रकार के अवैध अन्तरणों को विधिमान्य बनाने हेतु आवेदन दिनांक 05.09.1996 तक किये जाने थे। अतः राज्य सरकार द्वारा दिनांक 13.12.1996 को जारी अधिसूचना उक्त प्रकार के अवैध अन्तरणों को विधिमान्य बनाने हेतु आवेदन की तिथि दिनांक 31.12.1998 तक बढाई गई	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है, एवं वादी/अपीलार्थी द्वारा आवेदन उक्त दिनांक 31.12.1998 के लगभग 26 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् प्रस्तुत किया गया, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का उक्त आवेदन न्यायालय में पोषणीय नहीं पाया जाता है। अतः वादी/अपीलार्थी का आवेदन एडमिशन स्तर पर ही न्यायालय में पोषणीय नहीं होने से निस्तारित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर वादी/अपीलार्थी का उक्त प्रकरण अन्तर्गत धारा 42 (ख) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 चलने योग्य नहीं पाये जाने से एडमिशन स्तर पर ही निस्तारित किया जाकर खारीज किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। -S/D- (आलोक रंजन) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 26.03.2025	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official